

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

06 JAN 2025

क्रमांक: प.8(1)गृह-1/2025

जयपुर दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

आज्ञा

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 23011/2025 में मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2025 के विरुद्ध दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1850/2025 द्वारा राज्य सरकार बनाम मोटाराम बेनीवाल में मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर ने आदेश पारित किया है कि "Meanwhile, the effect and operation of the impugned order dated 24-11-2025 passed in S.B. Civil Writ Petition no. 23011/2025 (Mota Ram Beniwal Vs. State of Rajasthan & Ors.) shall remain stayed."

अतः इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.11.2025 के द्वारा क्र0सं0 10 पर अंकित श्री मोटाराम बेनीवाल, आरपीएस का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मालपुरा, जिला टोंक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, लीव रिजर्व, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर एवं क्र0सं0 11 पर अंकित श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी, आरपीएस का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, बर्गलरी एण्ड श्रैफ्ट, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मालपुरा, जिला टोंक के पद पर किया गया स्थानान्तरण यथावत रखा जाता है।

आज्ञा से,

ह

(आनन्दी लाल वैष्णव)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. निजी सहायक संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस
31/12/25